

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

सोहनराम

किस्म प्रकरण : प्रार्थना पत्र

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

नानूराम वगैरह

मुकदमा नं. 117 /2025

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
15.05.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 23.04.2025 से न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। चूंकि प्रकरण हाजा सम्मरी प्रोसेडिंग का है, जिनके निस्तारण के लिए समय सीमा 3 माह की अवधि निर्धारित है।</p> <p>अतः प्रार्थी अधीन धारा 212 एक्ट 1955 बावजूद हिदायत अप्रार्थीगण की तामील आदिनांक तक नहीं करवाये जाने पर सीपीसी आदेश-9 नियम-5 के तहत खारिज किया जाता है।</p> <p>(दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	